Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-III September 2020

आत्महत्या का विधिक एवं सामाजिक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह महदौरिया*

सारांश

मानव समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके बिना मानव समाज का विकास होना सम्भव ही नही है, इसके बाबजूद भी मानव का हर समाज एवं काल में विभिन्न, कठिनाईयों, असमानताओं में शोषण होता रहा है। ये समस्याएँ ऐसी हैं जो सम्पूर्ण विश्व में लगभग देखने को मिल जाती है। जैसे मानव द्वारा आत्महत्या करना। यदि हम विश्व के इतिहास का अवलोकन करें तो पायेगें कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में मानव आत्महत्या करता रहा है, भारत में सर्वाधिक आत्महत्या करने वाले राज्य महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों में मानव ने सर्वाधिक आत्महत्यायें की हैं, जो कि एक दर्दनाक घटना है आत्महत्या की चिंता को देखते हुए विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने और भारत ने रोकने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों एवं विधिक प्रावधानों का निर्माण किया है और अनेक ऐसी योजनायें चलाई हैं जिससे मानव अपने काम में इतना व्यस्त रहें कि आत्महत्या सोच भी न सके।

बीजक शब्द:- मानव, आत्महत्या, विधिक व सामाजिक उपबन्ध।

प्रस्तावना

आत्महत्या का अर्थ है अपने आप को मारना, जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है। आत्महत्या अक्सर निराशा के चलते की जाती है जिसके लिए अवसाद द्विध्रुवीय विकार, मनोभाव शराब की लत या मादक दवाओ का सेवन जैसे मानसिक विकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

तनाव के कारण जैसे वित्तीय कठिनाइयो या पारस्परिक संबंधो में परेशानियों की भी अक्सर एक भूमिका होती है। आत्महत्या के रोकने के प्रयासों में आगनेयास्त्रो तक पहुच को सीमित करना, मानसिक बीमारी का उपचार करना तथा नशीली दवायों के उपयोग को रोकना तथा आर्थिक विकास को बेहतर करना शामिल है।

आत्महत्या करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि देशो के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है आम विधियों में निम्नलिखित शामिल है। लटकना, कीटनाशक, जहर पीना ओर बंदूके। लगभग 800000 से लेकर 1000000 लोग हर वर्ष आत्महत्या करते है जिस कारण से ये दुनिया का दसवे नम्बर का मानव मृत्यु का कारण है पुरूषों से महिलाओं में इसकी दर अधिक है पुरूषों में महिलाओं की तुलना में इसके होने की सम्भावना तीन से चार गुना अधिक है । युवायों तथा महिलायों में आत्महत्या का प्रयास अधिक आम है।[1]

आत्महत्या का सिद्धांत

इमाइल दुर्खिम की समाजशास्त्रीय देनों में आत्महत्या का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक “द सुसाइड” में की है। जेतालिन के अनुसार दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन इसलिए

* बीएस.सी,एम.ए.,एलएल.एम.,पीजीडीसीए,एम.पी.सेट

[1] https://hi.m.wikipedia.org/w

किया है कि इसका सम्बन्ध समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग था जबकि अन्य दूसरे प्रकार की समस्यायों का सम्बन्ध मजदूर वर्ग संघर्ष आदि से था जिसका अध्ययन कर इमाइल दुर्खीम मार्क्सवादी विचारकों की कोटि में आता है। मार्क्सवादी खेमे से अपने को अलग रखने के लिए इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या जैसी समस्यायों को अपने अध्ययन विषय के रूप में चुना। साथ ही उसने यह भी सोचा कि इस प्रकार के अध्ययन से तत्कालीन समाज की बुराइयों एवं कुछ समायोजन के सम्बन्ध में सुझाब के रूप में कुछ कारक मिल जायेगे जिनके आधार पर वह समाज में एक नैतिक बल की चर्चा कर सकेगा। रेमण्ड एरा का कहना है कि अपने अन्य सिद्धांतों की तरह इस सिद्धांत में भी इमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले आत्महत्या की परिभाषा दी है। दूसरे स्तर पर आत्महत्या से सम्बन्धित पूर्व के सभी सिद्धांतों का खंडन किया है और तृतीय स्तर पर आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करते हुए एक सामान्य निष्कर्ष का प्रतिपादन किया है। आत्महत्या की घटना में इमाइल दुर्खीम ने सर्वप्रथम मृत्यु की उन समस्त घटनायों को शामिल किया है। जो स्वयं उस व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित है जो कि अपनी हत्या करता है उसके वांछित एवं अवांछित कार्यो का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फल होता है। तथा जिसका परिणाम भी व्यक्ति जानता है इस प्रकार इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या की श्रेणी में मृत्यु से सम्बन्धित उन सभी घटनाओं को शामिल किया है जो स्वयं उस व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया के परिणाम है द्वितीय स्तर पर इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित सभी सिद्वान्तों का खण्डन किया है और बतलाया है। की आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जीव वैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिको के इस निष्कर्ष को बहुत से लोग मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में आत्महत्या कर लेते हैं। इमाइल दुर्खीम ने स्वीकार नही किया है इनके अनुसार आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक घटना नही है, बल्कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है क्योकि इसके कारण समाज में ही उपस्थित होते हैं और इसका विशलेषण भी सामाजिक तथ्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन करने एवं इसके लिए विशेष सिद्वांत प्रतिपादित करने के उद्देश्य से मनोग्राफिक आंकड़ो का सहारा लिया और सैनिक, असैनिक विवाहित, अविवाहित, यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं स्वतंत्र विचारकों की आत्महत्या का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकला कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है अपने समाजशास्त्रिय दृष्टिकोण के आधार पर इमाइल दुर्खीम ने कहा कि समूह कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसके प्रभाव से विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यदि स्त्रियाँ पुरूषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती है तो इसलिय कि वे सामूहिक जीवन में पुरूषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। इमाइल दुर्खीम ने पाया कि स्वतंत्र विचारकों में सामूहिकता का अभाव पाया जाता है इसलिय उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है, स्पष्टतः इमाइल दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या व्यक्तिगत कार्य नही है बल्कि एक सामाजिक घटना है और इसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है।

तीसरे स्तर पर इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या को तीन भागों में बांटा है जिसके मूल में तीन सामाजिक तथ्य हैं। इमाइल दुर्खीम के अनुसार ये तीन तरह की आत्महत्या क्रमशः अहंवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या तथा आदर्श विहीन आत्महत्याये हैं। इन तीन के अलावा कुछ ऐसी आत्महत्याओ का भी इमाइल दुर्खीम ने उल्लेखक किया है जिन्हें वे भाग्यवादी आत्महत्या कहते है अहमवादी आत्महत्या की व्याख्या करते हुए इमाइल दुर्खीम ने बताया है कि इसका मूलकारण अहंमवादी है। जब व्यक्ति अपने समूह या समाज से घनिष्ट सम्वन्ध नही रखता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सर्वोपरी समझता है तो उसे अहंवाद कहते हैं। ऐसी

स्थिति में घटित अपने समूह या समाज से अलग थलग महसूस करता है क्योकि वह अहंवाद की भावना से ग्रस्त होता है, वह सोचने लगता है कि उसकी आवश्यकताओ की पूर्ती समाज नही करता है और नही उसके ऊपर समाज का कोई उत्तरदायित्व है ऐसी स्थिति में वह निराश होकर आत्महत्या कर लेता है।

दुर्खीम ने अपने मोनोग्रफिक अध्ययन के दौरान यह पाया कि अविवाहितों के बजाय विवाहितों पर अधिक उत्तरदायित्व होता है, अविवाहित व्यक्ति सामाजिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से ज्यादा अलगाव महसूस करता है। अतः विवाहितों की अपेक्षा अविवाहितों में आत्महत्या की दर अधिक पायी जाती है इसी तरह दुर्खीम का अन्य निष्कर्ष था तलाक प्राप्त स्त्रियों की अपेक्षा तलाक प्राप्त मर्दों में आत्महत्या की दर अधिक पायी जाती है क्योकि तलाक प्राप्त मर्दों में अनुशासनहीनता अधिक बढ़ जाती है। उनकी आकांक्षाओ की पूर्ति में दूरी बढ़ जाने के कारण अहंवाद का विकास तेजी से होता है, दुर्खीम का यह भी कहना है कि शान्ति के समय आत्महत्या की दर अधिक पायी जाती है जबकि युद्ध के समय इसमें कमी हो जाती है। इन सब निष्कर्षो के आधार पर दुर्खीम का कहना है कि अहंवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का समाज से संतुलन विगड़ जाता है।

परार्थवादी आत्महत्या का आधार परार्थवाद है जब व्यक्ति समाज या समूह से इतना घुलमिल जाता है कि वह अपने को समाज से अलग नही कर जाता बल्कि सामाजिक हित में ही अपना हित समझने लगता है तो परार्थवाद की भावना का विकास होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब समूह पर विपत्ति आती है तो वह समाज के लिए अपनी जान भी देने की तैयार हो जाता है, दूसरे शब्दों में परार्थवादी आत्महत्या उस परिस्थिति की देन है जब व्यक्ति का अपने समूह से या उसके मूल्यों से घनिष्ट सम्बन्ध होता है।

हिन्दू समाज में सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिय हिन्दू स्त्रियों द्वारा पति की चिता के साथ सती हो जाना परार्थवादी आत्महत्या का उदहारण है, युद्ध के समय सैनिको द्वारा की गई आत्महत्या को भी दुर्खीम ने इसी प्रकार की आत्महत्या माना है।

तीसरे प्रकार की आत्महत्या आदर्शविहीन आत्महत्या है इसका मूल कारण समाज में प्रतिमान विहीनता की दशा का होना है किसी भी जनसमुदाय द्वारा नियम तोडकर नियम विहीनता की दशा उत्पन्न करना विसंगति समाज की वह दशा है जहा नियमों का आभाव होता है, दुर्खीम का कहना है कि विसंगति की स्थिति भी लोगो को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है।

उदाहरण के लिए, अकाल के समय भूख से तड़पती जनता किसी तरह भोजन चाहती है और वह नियमों को तोड़ देना चहाती है या अंततः आत्महत्या कर लेती है तो यह नियमविहीन आत्महत्या होगी।

इसी तरह समाज में भीषण दहेजप्रथा को देखते हुए गरीब पिता की लड़की अपने पिता की मजबूरियों से व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है तो यह नियमविहीन आत्महत्या होगी भाग्यवादी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अधिक नियंत्रण आदर्शवादिता और कठोर नियमपालन है जिससे तंग होकर व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है।

उदाहरण के लिए कोई स्त्री जो सन्तानहीन है और समाज उसे दूसरे पुरूष से यौनसम्बन्ध स्थापित करके गर्भ धारण को इजाजत नही देता है तो ऐसी स्थिति में निःसन्तान जीने के बदले वह आत्महत्या कर लेना ही एक उपाय मानती है। इसी तरह कोई गुलाम भी जब मालिको के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर लेता था तो वह इसी श्रेणी की आत्महत्या कही जाएगी।

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या का सिद्धांत समाजशास्त्रीय चिन्तन के क्षेत्र में दुर्खीम से पहले निराशा, मानसिक दुर्वलता आदि कारणों के ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता था परन्तु दुर्खीम ने तार्किक आधार पर इन सभी पूर्व प्रचलित मान्यताओ का खण्डन करके आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया और दुर्खीम ने अपने सिद्धांत में यह सिद्ध करते हुए बताया कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक परिस्थितियों की देंन है, व्यक्ति सामाज की प्रतिछाया मात्र है, व्यक्ति वही करता है जो सामाज उसे करने के लिए विवश करता है।[2]

आत्महत्या के प्रकार

आत्महत्या निम्न प्रकार से की जा सकती है–

1. रक्तस्त्राव द्वारा आत्महत्या

रक्तस्त्राव द्वारा आत्महत्या करने में बहुत अधिक खून बहाकर शरीर में रक्त की मात्रा और दबाब को खतरनाक स्तर तक कम कर दिया जाता है, आमतौर पर धमनियों को नुकसान पहुचाकर ऐसा किया जाता है, इसके लिए कैरोटिक पहुचाकर ऐसा किया जाता है इसके लिए कैरोटिक, रेडियल, उलनर या फैमोरल धमनियों को लक्ष्य बनाया जा सकता है। मौत सीधे तौर पर शरीर की रक्तल्पना के कारण या हाइपोवोलेमिया के माध्यम से हो सकती है जिससे परिसंचरण तंत्र में रक्त की मात्रा बहुत ही कम हो जाने के कारण परिणामस्वरूप शरीर निष्परिणाम हो जाता है।

2. कलाई काटना

कलाई काटने का कारण आमतौर पर आत्महत्या का प्रयास करने की बजह जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहचाना होता है व्यक्ति उलेखनीय मात्रा में एड्रिनिलिन और एन्ड्रोर्फिन के स्त्राव द्वारा अनुभव कर भी सकता है और नही भी निरंतर खून बहने के साथ हृदय अटलता की सम्भावना पैदा हो जाती है क्योकि शरीर रक्त की क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है। अगर रक्त स्त्राव को जारी रखने दिया गया हो तो इसके परिणामस्वरूप गम्भीर हाइपोतोलेनिया आघात का कारण बनेगा जिसके बाद हृदय बाहिनिया काम करना बंद कर देगी, हृदय गति रूक जायेगी और मौत हो जायगी। आत्महत्या के असफलता के मामले में व्यक्ति की बाहरी फ्लेक्सर मांसपेशियों के टेंडन या हाथ की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली उलनार और मीडियन तंत्रिकाओ में नुकसान का अनुभव हो सकता है। इन दोनों के ही परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की संवेदना और चलने फिरने पर नियंत्रण की क्षमता अस्थाई या स्थाई रूप से कम हो सकती है और शरीर में तेज दर्द या ओटोनोमिया दर्द भी उत्पन्न हो सकता है।

जैसे कि रक्त स्त्राव के मामले में होता है रोगी की मौत को रोकने के लिए आक्रामक रूप से उसे पुनः होश में लाना आवश्यक होता है अस्पताल पूर्व उपचार के लिए मानव आकस्मिक रक्तस्त्राव नियंत्रण सम्बन्धित उपाय करना जरूरी होता है। धमनी से रक्तस्त्राव की पहचान रक्त लयबद्व धार से होता है जिसका रंग चमकीला लाल होता है दूसरी ओर शिराओ से रक्तस्त्राव गहरे लाल रंग के रक्त की एक नियन्त्रण धारा पैदा करता है, धमनी से होने वाले रक्तस्त्राव रोकना रोकना कही अधिक कठिन होता है और इससे आमतौर पर जीवन को

[2] सामाजशास्त्र एस एस पाण्डे पेज न.14-.9-14-.12/ प्रकाशक – Tata mc graw hill education private limited new delhi 2010

अधिक खतरा रहता है इसके अलावा रक्तस्त्राव को धमनी के अप्रत्यक्ष दबाब के जरिये नियन्त्रण किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, बाहुधमनी पर दबाब डालने से हाथ के रक्तस्त्राव को रोका जा सकता है हालांकि दबाब के बिन्दुओ का इस्तेमाल साबधानी पूर्वक किया जाना चाहिए क्योकि अपर्याप्त रक्त का प्रवाह बाजुओ को गम्भीर नुकसान पंहुचा सकता है।

3. डूबकर मरना

डूबकर आत्महत्या करना जानबूझकर अपने आप को पानी या किसी अन्य दृव्य में डुबोना है जिससे कि साँस रूक जाये और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाये हवा के लिए ऊपर आने की शरीर की स्वाभाविक प्रवृति पर काबू पाने के लिए डूबकर मरने की कोशिश में अक्सर किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया जाता है डूबकर मरने में शरीर और मानसिक पीड़ा होती है डूबकर आत्महत्या के सबसे कम आम तरीकों में से एक है जिसकी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में आत्महत्या के रिपोर्ट किए गये सभी मामलो में दो प्रतिशत से भी कम होती है।

4. घुटन (दम घुटना)

घुटन के जरिये आत्महत्या करना अपनी साँस लेने की क्षमता को बंचित करना या साँस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेने की क्रिया को सीमित करना है जिससे स्वास अवरोध पैदा हो जाता है और अंत में साँस बंद होने से प्राण निकल जाते है। इस तरीके में एक एक्जेक्ट बैग शामिल होता है या एक बंद स्थान में ऑक्सीजन के बगैर खुद को कैद कर लिया जाता है इन प्रयासों में अवसादक औषधि का उपयोग शामिल होता है ताकि उपयोगकर्ता स्वाभाविक दहशत और हाईपरकैरिनक अलार्म प्रतिक्रिया के कारण बचकर भाग निकले का प्रयास करने से पहले ही ऑक्सीजन के अभाव के कारण बेहोश हो जाएगा।

घुटन के जरिये आत्महत्या करने में सामान्यतः हीलियम, ऑर्गन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, अक्रिय गैस को तेजी से साँस के जरिये अंदर लेने से व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है।

5. ऊचाई से कूदना

ऊचाई से कूदने का मतलब है ऊचे स्थानों से छलांग लगाना- उदाहरण के लिए किसी बहुत ऊची इमारत की खिड़की, बालकनी, छत, ऊची चट्टान, बाँध या पुल से कूदना या कूद जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका में छलांग लगाना आत्महत्या करने का काम सामान्य तरीको में से एक है। वर्ष 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आत्महत्या में सभी सूचित किए गए मामलो में 2 प्रतिशत से भी कम है। हांगकांग में भी छलांग लगाकर आत्महत्या करने का सबसे आम तरीका है, वर्ष 2006 में आत्महत्या के सभी सूचित मामलो में से 52.1 प्रतिशत ने यही तरीका अपनाया था और इसके पहले के साल में भी आंकड़ा यही था हांगकांग विश्वविद्यालय के सेंटर फाँर सुसाइड रिसर्च एण्ड प्रिवेंशन का मानना है कि हांगकांग में गगनचुम्बी इमारतों की सुलभ बहुतायत के कारण ऐसा हो सकता है।

6. फांसी लगाकर आत्महत्या करना

इस तकनीक के साथ रोगी गले के चारो ओर कुछ ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिससे कि गला घुट जाए और गर्दन टूट जाये मृत्यु की स्थिति में मौत का वास्तविक कारण फाँसी लगाने के लिए

इस्तेमाल किए गए उपकरण की प्रकार के प्रकार पर निर्भर करता है यह प्रकार आमतौर पर रस्सी की लम्बाई को दर्शाता है। छोटी रस्सी में पीड़ित व्यक्ति की मौत गला घुट जाने के कारण हो जाती है जिससे मस्तिष्क को कम ऑक्सीजन मिलने के कारण दम घुटकर मौत हो सकती है अगर पहली स्थिति सही है तो रोगी की दम घुटना, त्वचा में झनझनाहट, चक्कर आना, धुधला दिखाई पड़ना, आक्षेप, सदमा और श्वसन सम्बन्धी तीव्र अम्लरक्तता का अनुभव होने की संभावना होती है अगर दूसरी स्थिति सही है तो एक या दोनों कैरोटिड धमनियों और जुगुलर नस में काफी दबाब पैदा हो सकता है जिसके कारण मस्तिष्क में सेरेब्रल इस्वेनिया और एक हैपोक्सिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो अंत में मौत में सहयोग दे सकती है या मौत का कारण बन सकती है।

फाँसी लगाना पूर्व औद्योगिक समाजों में आत्महत्या का प्रचलित माध्यम रहा है और यह शहरी क्षेत्रो की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सामान्य है यह उन परिस्थितियो में आत्महत्या का एक सामान्य माध्यम है यह सामाग्रियाँ आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।

7. जहर लेना

तेजी से असर करने वाले जहर जैसे कि हाइड्रोजन साइनाईट या ऐसी चीजे जो मनुष्य के प्रति अपनी उच्च स्तरीय विशाक्तता के लिए जानी जाती है, इसके द्वारा आत्महत्या की जा सकती है।

जैसे जिला भिण्ड के ग्राम बिजपुरी में एक महिला की एक महिला की विशाक्त पदार्थ खाने से शनिवार शाम मौत हो गई, इस घटना से गुस्साये पीहर पक्ष के लोगों ने रविवार सुबह मृतक के देवर को भी जबरन जहर खिला दिया जिससे उसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ग्राम बिजपुरी निवासी छोटेसिंह परिहार पुत्र दिगम्बरसिंह ने पुलिस को बताया कि उसके छोटे भाई पिंटू की पत्नी गुडिया 5 दिन पूर्व घर से ब्यूटीपार्लर के लिए निकली थी वह सीधे ग्राम भोजपुर स्थित पीहर पहुच गई और शनिवार को दोपहर तीन बजे लौटी थी।[3]

8. कीटनाशक का जहर

दुनिया में तीस प्रतिशत आत्महत्याये कीटनाशक के जहर से होती है हाँलाकि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस विधि में प्रयोग से स्पष्ट रूप से विभिन्नता होती है जो यूरोप में चार प्रतिशत से लेकर प्रशांत क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती है, चीन के ग्रामीण इलाको में महिलाओं द्वारा खेत के रसायनों के जहर से आत्महत्या करना बहुत आम बात है और यह देश में प्रमुख सामाजिक समस्या मानी जाती है, फिनलैंड में 1950 के दसक में आत्महत्या के लिए आमतौर पर अत्यधिक घातक कीटनाशक पैराथियोंन इस्तेमाल किया जाता था जब रसायन तक पहुच को प्रतिबंधित कर दिया गया तो इसकी जगह अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिससे शोधकर्ताओ ने यह नतीजा निकाला की आत्महत्या के कुछ तरीकों पर प्रतिबन्ध लगाने से समग्र आत्महत्या दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

[3] समाचार पत्र ,पत्रिका दिनाँक 08/06/2015 पेज नं 5

9. दवा की अत्यधिक खुराक लेना

दवा की अत्यधिक खुराक लेना आत्महत्या का एक ऐसा तरीका है जिससे निर्धारित स्तर से कई अधिक मात्रा में दवाई लेना या दवाओं के ऐसे मिश्रण को लेना शामिल है जो आपस में क्रिया करके नुकसानदेह प्रभाव पैदा करता है। यह एक या अधिक तत्वों की शक्ति को बढ़ा देता है मरने के अधिकार की पक्षकार सोसायटी के सदस्यों के बीच सम्मानपूर्वक मृत्युओं के लिए शांतिपूर्ण अधिक मात्रा में दवा लेना सर्वाधिक पसंदीदा तरीका है, मृत्यु के अधिकार की सोसायटी एग्जेक्ट इंटर्नेशनल के सदस्यों के बीच करवाये गए एक जनमत सर्वेक्षण ने दिखाया है कि 89 प्रतिशत लोग एक प्लास्टिक एग्जेक्ट बैग, कार्बनमोनोआक्साइड जनरेट या धीमी इच्छा मृत्यु की बजह गोली खाना पसन्द करते है।

10. आत्मदाह द्वारा आत्महत्या करना

आत्मदाह को सामान्य रूप से आग के जरिये आत्महत्या के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है जिसका एक विरोध की रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा चूका है, जिसमे सबसे प्रसिद्ध है थिचकुआ डुक द्वारा सन 1963 में दक्षिण वियतनाम सरकार का विरोध करने के लिए भारत के कुछ हिस्सों में आत्मदाह कर्मकाण्ड के रूप में किया जाता था जिसे सतीप्रथा के नाम से जाना जाता है जिससे एक पत्नी अपनी इच्छा से अपने मृत पति की चिता पर खुद को अग्नि के हवाले कर देती थी।

उदाहरण के लिए मुरैना जिले की अम्बाह तहसील के ग्राम कचानौधा में अप्रैल 2015 में गुड्डी पत्नी सियाराम ने आत्मदाह द्वारा आत्महत्या कर ली थी।

11. भुखमरी से आत्महत्या होना

भूख हड़ताल से मृत्यु हो सकती है, हिन्दुओं और जैन भिच्छुओ द्वारा उपवास को मुक्ति पाने के एक कर्मकांडीय रीति के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है और अल्बिजैसियाई या कैथर लोग कन्सोलामैन्टल संस्कार ग्रहण करने के बाद नैतिक रूप से पूर्व अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उपवास करते थे।[4]

आत्महत्या के कारण

आत्महत्या के निम्न कारण है–

शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता-

शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के कारण लोग आत्महत्या कर लेते है शरीर में विसंगतियों के कारण अपने आप को हीन भावना के कारण ही ये लोग समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग या कटा हुआ महसूस करते हैं और इस कारण ये लोग गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर बैठते हैं। मानसिक दुर्बलता के कारण कुछ लोग अपना विकास नही कर पाते हैं और ये लोग प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं चाहे वह क्षेत्र पड़ाई का हो या कैरियर का हो, जिसके कारण लोग हीन भावना से ग्रसित होकर अपने आप से सिमटकर रह जाते हैं और लोगो से मिलना कम पसंद करते है अतः ऐसे लोग अपनी जीवनलीला समाप्त कर लेने के लिए आत्महत्या कर बैठते हैं।

---

[4] https//www.googal.co.in

जैसे– इन्दौर एम. वाय.अस्पताल की पांचवी मंजिल से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली, वह अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दुवारा भर्ती करने पर मानसिक रूप से परेशान हो गयी थी। बडवाह खरगोन निवासी गीताबाई आयु 50 वर्ष पति रघुवीरसिंह चौहान ने मंगलवार शाम पांचवी मंजिल के बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा दी, तल मंजिल के बरामदे में गिरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गयी महिला के साथ पति और बेटा राहुल 14 वर्ष पांच दिन पहले अस्पताल आये थे।[5]

गरीबी-

आर्थिक कमी के कारण लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताए, रोटी, कपडा, और मकान से लेकर जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुयें समाचारपत्र, पत्रिका तथा समाज के लोगों में अपना जीवन स्तर बनाये रखने में अक्षम पाते हैं तो ऐसे लोग कभी–कभी गलत कदम उठाकर आत्महत्या करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे– बेटी की शादी के लिए पैसो की कमी का होना।

प्रेम में निराशा-

वर्तमान समय में खासकर किशोरों में लड़का–लड़की प्रेम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे लोग कभी–कभी अपने कैरियर से भी ज्यादा प्रेम में इतना डूव जाते हैं कि वे एक दूसरे का जीवन साथी वनाने को सहमत हो जाते हैं और उन दोनों पक्षों के माता–पिता या उनमें से किसी एक के माता–पिता उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं। तब ऐसे लोग अपने प्रेम को असफल समझते हैं और निराशा में डूब जाते हैं और एकांत हो जाते हैं और गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर लेते हैं।

जैसे– भिण्ड में गर्लफ्रेंड की मौत के बाद एक छात्र ने थाटीपुर (ग्वालियर) में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली, छात्र ने सुसाईट नोट नही छोड़ा है लेकिन परिजन इस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं पुलिस ने मामले की जाच शुरू कर दी है ।बताया गया है कि मृतक डी.एड. का छात्र था, भिण्ड में रहने वाले विद्यासागर 22 वर्ष पुत्र राधेश्याम दीक्षित बुधवार को थाटीपुर स्थित तृप्तिनगर में रहने वाले अपने भाई के घर आ गया था, रात में बड़ा भाई मनीष सामान लेने बाजार गया तभी विद्यासागर ने फाँसी लगा ली, मनीष ने लौटकर घर पर उसे फाँसी के फंदे पर लटका देखा तो वह उसे अस्पताल ले गया जहाँ विद्यासागर को मृत घोषित कर दिया गया, मनीष म.प्र .पुलिस में सिपाही है मनीष ने बताया कि विद्यासागर डी.एड. कर रहा था और पड़ने भी होशियार था, भिण्ड में उसकी गर्लफ्रेंड ने बुधवार को फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी इस लिए इसे परेशान देखकर घरवालों ने उसे ग्वालियर अपने भाई मनीष के पास भेज दिया था।[6]

मानसिक अवसाद-

यदि किसी महिला से बच्चे का न होने पर उस महिला पर अनेक प्रकार के लांक्षन लगाए जाते हैं और उसे तरह तरह से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। जिसके कारण वह अपनी जिन्दगी से तंग आकर गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर लेती है।

---

[5] समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनाँक 10/06 /2015

[6] समाचारपत्र दैनिक भास्कर शुक्रवार दिनाँक 05/06/2015 पेज नं 6

जैसे- मुरैना जिले की अम्बाह तहसील के ग्राम कचानौधा की एक महिला गुड्डी पति रामखिलाड़ी के जब बच्चे पैदा नहीं हुए, तब उसने मानसिक अबसाद में आकर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली।

पारिवारिक कलह-

समस्त मानव समूहों में परिवार एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। इसके सदस्य आपस में रक्त या विवाह सम्बन्धो द्वारा संबंधित रहते है और एक भावनात्मक बन्धन के अन्तर्गत एक दूसरे से बधे रहते हैं। और इसी समूह में आर्थिक समस्या के कारण आपस में कलह का होना जिसके कारण भावनात्मक सम्बन्ध टूटकर परिवार को छिन्न–भिन्न कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति समूह में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है और समूह में झगड़ता रहता है अंत में कलह पूर्ण स्थिति की किसी असामान्य घटना को न्योता देती है जिसके कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए अग्रसर हो जाता है।

लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता-

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और कभी वे सफल भी होते है और कभी असफल भी होते हैं। असफलता के कारण व्यक्ति कभी कभी गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर लेता है।

जैसे– जब विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से देखता है और अपनी जीवनलीला समाप्त करने के उद्देश्य से आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार जब कोई व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में घाटा उठता है या किसान वर्ग अपनी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होते देखता है तो वह भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है।

किसानों द्वारा आत्महत्या-

मध्यप्रदेश में ही नहीं भारत में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है नये इलाकों में इसका असर हो रहा है जहाँ देश में किसानों की आत्महत्या की ख़बरें महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना राज्य से ही आती थी। वही अब इसमें नये इलाके जुड़ गए हैं इसमे बुन्देलखण्ड जैसे पिछडे इलाके ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, पशिचमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं।

राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान भी अब आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इसका सीधा जबाब यह है कि खेती करना अब घाटे का सौदा हो गया है, किसानों में आत्महत्या की सबसे बढ़ी बजह किसानों पर बढता कर्ज और उनकी छोटी जोत बताई गई है इसके साथ ही मंडियों में बैठे साहूकारों द्वारा बसूली जाने वाली ब्याज की ऊँची दरें बताई गई थी। एक साल के भीतर किसानों को दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है कमजोर मानसून के चलते खरीफ का उत्पादन गिर वही फरवरी और मार्च के महीने से अप्रैल के पहले सप्ताह तक जिस तरह वे मौसम की वारिस, ओले और तेज हवाओं ने किसानों की तैयार फसलों को बर्बाद किया जिसका झटका बहुत से किसान नहीं झेल पाए हैं वही बजह है कि इस प्राकृतिक आपदा के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से किसानों ने आत्महत्यायें की इससे साफ़ है कि आर्थिक रूप से उनका बहुत कुछ दाब पर लगा था जो कि वर्वाद हो गया।

गुजरात के एक गाँव से पहले तो एक किसान की आत्महत्या और फिर उनकी पत्नी के खुद को जला लेने का मामला सामने आया है। किसान हरेश खाडिया ने कथित तौर पर फसल बर्वादी के बाद आत्महत्या कर ली मृत किसान की पत्नी बबीषा खाडिया ने इसके बाद खुद को जला लिया। घटना में बबीषा की मौत हो गई बात गुजरात के राजकोट ग्राम भाण्डेर की है। 34 साल के हरेश ने फसल बर्वाद होने पर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली हरेश ने घर की छत से लटककर आत्महत्या की थी। घटना स्थल से हरेश का सुसाइड नोट बरामद किया गया है पर पुलिस का कहना कि इसमे फसल के ख़राब होने का कोई जिक्र नहीं है। राजकोट के डी.एस.पी. अजीत सीधी ने बताया कि वह निचले मध्यमवर्गीय परिवार से थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिन्दगी से परेशान होने के बारे में लिखा है पर इसमे उन्होंने आपसी माली हालात के बारे में कुछ नहीं लिखा।[7]

रतलाम नामली के रिगनिया के किसान ने सूदखोर से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली, परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया यहाँ से जैन दिवाकर सी.एच.एल. हॉस्पीटल ले गए देर रात उसकी मौत हो गयी नामली पुलिस मामले की जाँच कर रही है।[8]

तहसील गौरतगंजके क़स्बा दहगांब से लगभग 10 कि.मी. दूर स्थित ग्राम सन्दूक के किसान मोतीसिंह आयु 50 वर्ष ने कर्ज से परेशान होकर घर के पास लगे पेड़ पर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सुबह घटना का पता चलने पर परिजनों ने दहगांब पुलिस को सूचना दी मृतक के पुत्र सिद्धार्थ व ग्रामीणों ने बताया कि मोतीसिंह के पास 12 एकड़ की कृषि भूमि है, विगत सीजन का धान की फसल नष्ट होने व रवि की फसल में भी घाटा हुआ था। मोतीसिंह पर सैन्ट्रल बैंक किसनपुर एवं सोसायटी का 5 लाख से अधिक ला कर्ज था।[9]

कर्ज के चलते प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का दौर जारी है। कर्ज नहीं चुकाने के दबाव में मंगलवार को चार और किसानों ने जान दे दी, इन्दौर के अलावा धार, हरसूद और बालाघाट में ये घटनाएँ हुईं किसी के घर कर्ज वसूली के नोटिस आ रहे थे। तो किसी को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था, बालाघाट के किसान ने 10 वर्ष पहले कर्ज लिया था, जो अब बढकर 2 लाख रुपये हो गया था।

इन्दौर से सटे धरनावदा में 20 वर्ष के किसान पवन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, बताया गया कि उस पर 2 से 3 लाख का कर्ज था। खेती में नुकसान होने से वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था क़िस्त भरने के लिए वह मजदूरी भी करता था उसने खेती के लिय जमीन लीज पर ली थी, मकान बनाने के लिए सरकारी योजना में कर्ज भी लिया था। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी सोमवार को पहली वार पत्नी को घर लाया था।

धार जिले के चुम्पिया गाँव के किसान बिलामसिंह 46 वर्ष का शव घर में फाँसी के फंदे पर झूलता मिला। बिलामसिंह ने सोसायटी से 2013 में 17400 रुपये का ऋण लिया था। सोसायटी ने 2014 में बिलामसिंह को डिफाल्टर घोषित कर दिया उसे खाद, बीज खरीदने के लिय नया कर्ज नही दिया जा रहा था।

बेटों पर कर्ज के बोझ से चिंतित हरसूद के 65 वर्षीय किसान घीसे खां ने सोमवार रात खेत के कुएं में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घीसे खां के दोनों बेटों पर करीब 8 लाख का कर्ज था, दूसरी बार बोबनी बिगड़ने और कर्ज को लेकर वे एक हफ्ते से परेशान थे।[10]

---

[7] http;bbc.com/hindi/image/india dated 01/05/2015
[8] समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/07/2015
[9] समाचार पत्र पत्रिका दिनाँक 05/06/2015 पेज नं 3
[10] समाचार पत्र दैनिक भास्कर बुधवार दिनाँक 28/06/2017 पेज नं 4

सीहोर जिले में गुरूवार को एक किसान ने अपने खेत मे फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन का आरोप है कि किसान पर लगभग एक लाख रूपये का कर्ज था, जिसे लेकर साहूकार उसे परेशान कर रहे थे। बिलकिसगंज पुलिस ने बताया कि इमलीखेडा निवासी माहरिया बारेला 50 वर्ष का शव गुरूवार को उसी के खेत पर फाँसी के फंदे पर लटका मिला मामले की जाँच की जा रही है।[11]

सीहोर जिले में लाखो के कर्ज और 20 एकड़ में बोवनी बिगड़ने से दुःखी किसान सूरजसिंह 45 वर्ष ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूरजसिंह अहमदपुर के पथरिया गाँव का निवासी था सुबह जब लोगों ने देखा तो यहा भीड़ लग गई मृतक के भाई जसमत ने बताया कि उन पर 15लाख रूपये का कर्ज है और 20 एकड़ की बोवनी भी ख़राब हो गई है।

सागर जिले के मनेशिया गाँव के किसान परशुराम साहू 65 वर्ष ने 2.50 लाख के कर्ज के चलते मंगलवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, उसे इलाज के लिय बी.एम.सी. अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।[12]

मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले 24 दिन के दौरान मध्य प्रदेश में 42 किसानों ने, कर्ज के कारण आत्महत्या किया है, इसके अलावा वर्ष 2010 से 2015 तक के बीच में 5300 किसानों ने इसी समस्या के कारण आत्महत्या की है ,लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार किसानों के लिए कर्ज को समस्या मानने को तैयार नहीं है,जिस कारण साहूकारों का अत्याचार और किसानों की आत्महत्या बढती जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है कि मैंने पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश के अनेक जिलों के दौरे किए जिसमे खरगोन, मंदसौर, उज्जैन, देवास, सीहोर आदि में जो जमीनी हकीकत सामने आई। वह बड़ी गंभीर है, खेती में उपयोग होने वाले सामान की लागत लगातार बढ़ रही है लेकिन फसल की दामों में कोई वृद्धि नही हो रही है, फसल का सही दाम न मिलने पर किसान साहूकारों के कर्ज तले दबता जा रहा है और अन्त में कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं ।राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ो के अनुसार मध्य प्रदेश में 2010 से 2015 तक 6594 किसानों ने आत्महत्या किया, जिसमे से 5300 किसानों की आत्महत्या का कारण कर्ज रहा है।[13]

आत्महत्या का संबैधानिक पक्ष

आत्महत्या को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 309 में प्रावधान किया गया है, कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध करने के लिए कोई कार्य करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि आत्महत्या में अपराधी की मृत्यु हो जाती है, तो वह चाहे पुरूष हो या स्त्री, वह अपराध के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता है। किन्तु यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है तो वह आत्महत्या के लिए वह दण्डनीय होगा।[14]

---

[11] समाचार पत्र दैनिक भास्कर शुक्रुवार दिनाँक 30/06/2017 पेज नं 4
[12] समाचार पत्र दैनिक भास्कर बुधवार दिनाँक 05/07/2017 पेज नं 4
[13] समाचार पत्र दैनिक भास्कर मंगलवार दिनाँक 04/07/2017 पेज नं 7
[14] सूर्य नारायण मिश्र प्रकाशक इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पबिल्केश्न्स

धारा- 309 की संवैधानिकता-

चेन्ना जगदीश वनाम आंध्रप्रदेश[15] के मामले में यह निर्णय दिया गया कि भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करती है, यह कहना उचित न होगा कि जीवन सम्बन्धी अधिकारों में जीवित न रहने का अधिकार भी सम्मिलित है।

मारूति श्रीपति दुबल वनाम महाराष्ट्र राज्य[16] के मामले बम्बई उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत मत व्यक्त किया है ,इस मामले यह निर्णय दिया गया कि धारा- 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21,19 तथा 14 का उल्लंघन करती है, जीवन के अधिकार का अर्थ है मानवीय प्रतिष्ठापूर्वक जीवन तथा जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है मौलिक अधिकारों में उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष सम्मिलित है अतएव किसी व्यक्ति पर जीने के लिए दवाव नहीं डाला जा सकता है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत अधिकार अनुच्छेद- 21 द्वारा प्रदत अधिकार का विस्तार मात्र है और बिना जीवन के अधिकार के अनुच्छेद- 19 के अधिकार व्यर्थ हैं, यह धारा अनुच्छेद- 14 का भी उल्लंघन करती है क्योकि आत्महत्या के सभी प्रकार के प्रयत्नों को एक जैसा माना गया है और ऐसा प्रयत्न किन परिस्थितियों के कारण किया जाता है उनको विचार में नहीं रखा गया है, परन्तु बम्बई उच्च न्यायालय का यह मत तर्क सम्मत नही है और इसकी विद्वानों द्वारा घोर आलोचना की गई है।

पी. रथिनाम वनाम भारत संघ[17] के मामले दो रिट याचिकायें एक पी. रथिनाम तथा दूसरी नागभूषण पटनायक के द्वारा दाखिल की गई थी, इन याचिकाओं के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा- 309 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद- 14 और 21 के अतिक्रमण करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। दूसरे याची पटनायक ने अपने विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा- 309 के अधीन चल रही कार्यवाही को भी रद्द करने की प्रार्थना किया था, उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया कि हमारी दाण्डिक विधियों के मानवीकरण की दृष्टि से संहिता की धारा- 309 संविधि संग्रह से मिटा देने योग्य है, यह एक कर और अयुक्त प्रावधान है और इसका परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे घोर यन्त्रणा झेली हो दुबारा दण्डित करने के समान है, जिसे आत्महत्या के प्रयत्न में विफल होने के कारण लोकनिंदा का भाजन होना पड़ेगा। ऐसा कार्य धर्म, नीति और लोकमत के विरूद्ध नही कहा जा सकता है और आत्महत्या करने के प्रयत्न का समाज पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है, साथ ही आत्महत्या अथवा इसका प्रयत्न दूसरो को ऐसी कोई क्षति नहीं पहुचाता है जिस कारण सम्बंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य द्वारा हस्तक्षेप वांक्षित हो अतएव धारा- 309 संविधान के अनुच्छेद- 21 का अतिक्रमण करती है और इस कारण शून्य है।

ग्यानकौर वनाम पंजाव राज्य[18] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पी. रथिनाम वनाम भारत संघ[19] के मामले में दिये गए अपने पूर्व निर्णय को निरस्थ करते हुए यह अभिव्यक्त किया कि भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा -309 असंबैधानिक नहीं है और इससे संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के उपबंधों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त “जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार”

---

15 1988 क्रि. लॉ .ज.549 (आ .प्र .)
16 1987 क्रि. लॉ .ज.743 (बम्बई)
17 ए.आई .आर .1994 एस .सी .1844
18 1996क्रि. लॉ .ज.1660 एस .सी.
19 ए.आई .आर .1994 एस .सी .1844

शामिल नहीं है तथा जीवन के सरक्षण में जीवन का समापन शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में जीवन का अर्थ मानवीय सम्मान के साथ जीवन समझा जाना चाहिये, जीवन का कोई भी पहलू जो उसे सम्मानजनक बनाता हो इसमे शामिल किया जा सकता है परन्तु जो उसको समाप्त करता है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार मृत्यु जीवन से असंगत है उसी प्रकार मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार से असंगत है, अतएव मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार कम से कम उस समय तक शामिल नहीं माना जा सकता है जब तक कि निशचित रूप से मृत्यु हो जाने की नैसर्गिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है।

विवाहित महिलाओं द्वारा आत्महत्या

दहेज़–मृत्यु-

आधुनिक भारत में दहेज़ को एक गम्भीर सामाजिक बुराई के रूप में देखा जा रहा है। जिसकी जड़े समाज में गहरी हो रही है हिन्दू विवाह से सम्बंधित विभिन्न समस्याओ में से दहेज़ की समस्या एक भीषण समस्या है। शिक्षा का प्रसार एवं जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ दहेज़ की समस्या घटने की बजाय बड़ी है, यदि लड़का इन्जीनियर, प्रोफेसर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी या कुशल व्यापारी एवं सम्पन्न परिवार से सम्बन्धित है तो दहेज़ के बाजार उसकी ऊँची बोली लगाते है दूसरी ओर सुन्दर सुशील एवं शिक्षित कन्या को दहेज़ के अभाव में उपयुक्त घर नहीं मिल पाता है। दहेज़ को लेकर प्रतिवर्ष भारत में हजारों नव- विवाहिताएं आत्महत्या करती है या उन्हें जिंदा जला दिया जाता है।

दहेज़ के भूखे भेडिया एवं नर- पिशाचों ने विवाह की पवित्रता को समाप्त कर इसे केवल लाभ का सौदा बना दिया है। क़ानून भी दहेज़ को समाप्त करने में निष्क्रीय है। नवयुवकों का यह दायित्व है कि दहेज़ रुपी दानव की होली जलाए और विवाह को पवित्र बन्धन का रूप प्रदान करें। जिसका आधार पारस्परिक प्रेम, स्नेह सहयोग एवं विश्वास हो इसी सन्दर्भ में हम यहाँ दहेज़ की समस्या के विभिन्न पक्षों पर विचार करेगा।[20]

बालिका द्वारा आत्महत्या-

दहेज़ की अधिक मांग होने के कारण कई बालिकायें विवाह होने से पूर्व ही आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकिं उनके माता–पिता के पास इतना पर्याप्त धन नही होता है, जिससे वे अपनी बालिका को विवाह में दे सकें इसलिए दहेज़ की अधिक मांग को देखते हुए ऐसी बालिकाये आत्महत्यायें कर लेती हैं।

दहेज़ मृत्यु को रोकने के लिए बने क़ानून-

भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304B में दहेज़ मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया है। जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज़ की किसी माग के लिए या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहा ऐसी मृत्यु को दहेज़ मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

---

[20] समाज शास्त्र – प्रो. एम. एल.गुप्ता एवं डॉ. डी. डी.शर्मा प्रकाशक –साहित्य भवन पेज नं 326,3/206,आगरा मथुरा बाईपास ,निकट तुलसी सिनेमा आगरा -28200 2

दहेज़ का वही अर्थ होगा जो दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा- 2 में बताया गया है, जो कोई दहेज़ मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जयेगा।[21]

निष्कर्ष

आत्महत्या का मनोविज्ञान, मानसिक अवसाद पर आधारित है। जिसमें हर वह व्यक्ति जो किसी क्षणिक अवसाद में घिरकर जीवन समाप्त करने जैसा निर्णय लेता है। यदि सही समय पर उसकी निराशा एवं अवसाद को पहचान लिया जाये तो उस व्यक्ति को ऐसा करने से बचाया जा सकता है।

सिर्फ दो मिनिट की उत्तेजना में व्यक्ति ऐसा आघातीय निर्णय लेता है यदि वो दो मिनिट किसी तरह टल जाये तो हो सकता है वो व्यक्ति कभी आत्महत्या न करे, रोजगारोन्मुखी प्रेरणा देकर व्यक्ति को मूल सामाजिक विचारधारा से जोड़ा जा सकता है।

आत्महत्या के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी कायरता है, अक्सर हमारे जीवन में जब घोर निराशा छा जाती है और हमारा मन विचलित हो जाता है, ये मन बहकने लगता है और हमें गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है ऐसे विचारों के लिए या तो आप खुद जिम्मेदार हो सकते है या किसी दूसरे के दबाव में या किसी दूसरे के कारण आप ये कदम उठाने के बारे में सोच सकते है, इन विचारों के बारे में कुछ भी कारण हो सकता है जैसे कि तनाव, अवसाद (डिप्रेशन) किसी कारणवस निराशा अतः हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे है जो आपको इन कारणों से निकलने में मदद करेगा।

खाली दिमाग शैतान का घर होता है इसलिए खाली मत बैठिए अपने लिए कोई न कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करिए और उसे पाने के लिए निरंतर मेहनत करिए अगर आप कुछ पाना चहाते है और आपको बार–बार कोशिशों से भी नहीं मिल रहा है तो Frustration का होना लाजमी है, किन्तु यहाँ संसार का अंत नहीं हो जाता ये संसार अपार संभावनाओं वाला है, आपको अपनी मंजिल कहीं न कहीं मिल जायेगी यह सोचिये कि आपसे नीचे भी कई लोग है बे भी जी रहे है और खुश है।

कभी भी आत्महत्या जैसा विचार मन में आये तो अपने घर वालो के बारे में सोच ले जो आप पर निर्भर हो सकते है, आप को प्यार करने वाले हो सकते है, जो आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा सोचना उन्हें धोखा देना है, अगर आप किसी सी बात से परेशान हैं तो अपने घर वालो या किसी करीबी को जरूर बता दें, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल न निकला जा सके और उस परेशानी का हल नहीं नहीं है तो भी बातें बता से आपका मन हल्का हो जाएगा।

[21] सूर्य नारायण मिश्र इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन